न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0ः–134/2008

CIS NO. PS-195/2018

ललन सिहं एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मृतक सत्यदेव सिंह के विधिक वारिसान एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.06.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–13 ता 15 क एवं ख के ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 29.01.2020 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–13 ता 15 क एवं ख की ओर से अपने आवेदन दिनांक 29.01.2020 में कहा गया है कि देवी सिंह, हरिनन्दन सिंह एवं कुमार सिंह संयुक्त परिवार के सदस्य थे। इसलिए बहिस्से 1/3 के साथ साविक खतियान तैयार हुआ। देवी सिंह अपना हिस्सा लेकर कुमार सिंह तथा हरिनन्दन सिंह से अलग हो गये। हाल सर्वे खतियान में देवी सिंह के पौत्र नन्दकेश्वर सिंह के नाम खाता–45 तैयार हुआ। संयुक्त परिवार के अलग होने के बाद देवी सिंह के साख वाले लोग कुछ भूमि अर्जित किये। हालसर्वे से पहले ही विभाजन हुआ था। जिसमें कुमार सिंह एवं हरिनन्दन सिंह एक साथ रह गये थे। उन्हें दो तिहाई संपति संयुक्त रूप से मिली थी। हालसर्वे खतियान के समय कुमार सिंह के लडके जमादार सिंह ने अपने नाम से 1/2 संपति का खतियान तैयार करा लिया और शेष भूमि में रामनारायण सिंह को एक हिस्सा और गुल्ली सिंह का एक हिस्सा खतियान में दर्ज करा दिया जबकि जमादार सिंह, गुल्ली सिंह तथा रामनारायण सिंह बराबर के हिस्सेदार थे। जब जमादार सिंह के द्वारा की गयी बेईमानी की जानकारी उनके फरीकैनों को हुई तो प्रतिवादी सं0–14 की माता श्रीमति रामदेई देवी ने जमादार सिंह के वंशजों के विरूद्ध बंटवारा वाद सं0–167/66/17–1974 सब जज मोतिहारी के न्यायालय में दाखिल किया। जानबुझकर वादीगण द्वारा उस वाद में अपना कोई दावा प्रस्तुत नही किये। क्योंकि देवी सिंह के वारिसानों को बंटवारा वाद सं0–167/66 में निहित भूमि से कोई सरोकार नही था। बंटवारा वाद सं0–167/66/17–1974 में पारित डिक्री की भूमि को भी इस	

लगातार 01.06.2023	वाद में दर्ज कर दिया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बंटवारा वाद सं0–167/66 की निहित भूमियों को उपरोक्त वाद से अलग करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–09 ता 12 की ओर से दिनांक 12.02.2020 को प्रतिवादी सं0–13 ता 15 क एवं ख के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून की दृष्टिकोण से पोषणीय नही है। आवेदन तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0–13 ता 15 क एवं ख ने यह आवेदन बहस के दौरान दाखिल किया है। जिससे स्पष्ट है कि वे वाद को लंबित रखना चाहते है। आवेदन में खाता, खेसरा, रकबा तथा मौजा नही दिया गया है जिनकी भूमि अलग करनी है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। वादीगण की ओर से दिनांक 12.02.2020 को प्रतिवादी सं0–13 ता 15 क एवं ख के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत आवेदन कानून की किस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है इसका उल्लेख भी आवेदन में नही है। आवेदकगणों ने जिस बंटवारा मुकदमा का उल्लेख अपने आवेदन में किया है उस वाद में वादी पक्षकार नही थे और न उसकी जानकारी वादी को थी। अतः वादी पर उस वाद में पारित आदेश या डिक्री की बाध्यता नही है। पक्षकारों के बीच यह स्वीकृत तथ्य है कि मुकदमें में सम्मिलित जायदाद पक्षकारों की इजमाली एवं मौरूसी जायदाद है। जिसका सर्वेहाल खतियान पक्षकारों के पूर्वज जमादार सिंह के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादी सं0–13 ता 15 क एवं ख के द्वारा दिया गया आवेदन वाद के निष्पादन में विलंभ करने के उद्देश्य से तथ्यहीन आवेदन दिया गया है, जो खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। उभय पक्षों की ओर से अपना अपना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य कराया जा चुका है। आवेदकगण द्वारा दिया गया आवेदन	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0:–134/2008
CIS NO. PS-195/2018

लगातार 01.06.2023	कानून के किस प्रावधान के तहत दिया गया है इसका उल्लेख आवेदन में नही किया गया है। वाद अब अंतिम अवस्था में है। किसी भी तथ्य पर गुण–दोष के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है। वाद के इस स्तर पर किसी भी वादग्रस्त को वाद से हटाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेकदगणों/प्रतिवादी सं0–13 ता 15 क एवं ख के आवेदन दिनांक 29.01.2020 को खारिज किया जाता है। आगामी दिनांक 28.06.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	